भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3624
(10 अगस्त, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ओडिशा में पीएमएवाई-जी के अंतर्गत झोपड़ियों को तोड़ना

3624. श्री सुरेश पुजारीः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सामान्यतः ओडिशा में और विशेषकर बारगढ़ और झारसुगुड़ा जिले में लाभार्थियों की संख्या कितनी है जहां यथोचित लाभार्थियों के पक्ष में कार्य आदेश जारी किया गया था, जिन्हें प्रधान मंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत आवास के निर्माण के लिए अपनी झोपड़ियों को तोड़ने के लिए कहा गया था और झोपड़ी तोड़ने के बाद उन्हें बताया गया कि सूची से उनके नाम गायब हो गए हैं;
(ख) ओडिशा में बरगढ़ और झारसुगुडा जिले में उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जहां पीएमएवाई-जी के अंतर्गत घर आवंटित किए गए थे और यथोचित लाभार्थियों के नाम के विरूद्ध गलत व्यक्तियों को कितनी राशि का भुगतान किया गया था; और
(ग) गलती करने वाले अधिकारियों की पहचान का ब्यौरा क्या है और कर्तव्य में घोर लापरवाही करने के लिए यदि उनके विरूद्ध कोई कार्रवाई की गई तो वह क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): ग्रामीण विकास मंत्रालय में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

*****